फार्म बी.एम.-9(भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

अनुदान संख्या व नाम : 43-परिवहन विभाग **(आयोजनेत्तर)** वित्तीय वर्ष 2015-16 (धनराशि हजार रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (आयोजनेत्तर)	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग
1	2	3	4	5	6
2235 60 200 04 00 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य कार्यक्रम-04-बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की बस में दुर्घटना हो जाने की दशा में आर्थिक सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	2000	1200	1200	1200	800
3055 00 001 03 00 3055-सड़क परिवहन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-03-मंहगाई भत्ता-	504000	11058	11058	11058	492942
योग-	559600	12258	12258	12258	493742

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (आयोजनेत्तर)	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
3055 00 001 03 00 3055-सड़क परिवहन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-					

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

09-विद्युत देय	13000	16034	3034	3034	16034
15-गाड़ियों का अनुरक्षण/पेट्रोल आदि की खरीद	30000	35000	5000	5000	35000
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	18000	20000	2000	2000	20000
17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	17207	19431	2224	2224	19431
योग -	78207	90465	12258	12258	90465

(1) स्तम्भ-3 में बचत का कारण निम्नानुसार है :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 में बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की बस में दुर्घटना हो जाने की दशा में आर्थिक सहायता में मद में कम दुर्घटनायें होने के कारण रू0 1200 हजार की बचत संभावित है।

- मंहगाई भत्ता में एरियर का भुगतान न होने के कारण रू0 11058 हजार की बचत संभावित है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

09-विद्युत देय मद में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा देय विद्युत बिलों का भुगतान किये जाने हेतु मांग किये जाने के कारण रू0 3034 हजार का व्यायाधिक्य है।

- 15-गाड़ियों का अनुरक्षण/पेट्रोल आदि की खरीद की मद में शासन द्वारा किराये पर स्वीकृत 121 वाहनों का उपलब्ध बचतों के अन्तर्गत मात्र 02 माह हेतु रू0 5000 हजार का भुगतान किये जाने के कारण व्यायाधिक्य है।

-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान मद में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट योजना में टेण्डर प्रशिक्षण आदि की प्रक्रिया हेतु शासन द्वारा नामित संस्था को कार्य के भुगतान हेतु सर्विस टैक्स सम्मिलित करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रू0 11.45 लाख का भुगतान किये जाने तथा कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत डीबीए के भुगतान हेतु सर्विस टैक्स 12.36 प्रतिशत के स्थान पर दिनॉक 01-06-2015 से 14 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप डीबीए के 02 माह के भुगतान हेतु रू0 2000 हजार का व्यायाधिक्य है।

- 17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व में संभागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ का बकाया भवन कर रू0 1600 हजार तथा उप परिवहन आयुक्त, मेरठ के कार्यालय भवन के किराये में वृद्धि स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप रू0 624 हजार अर्थात कुल रू0 2224 हजार का व्यायाधिक्य अनुमानित है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर0ई0- 609/ई-9-यू0ओ0- 105/दस-2016, दिनॉक 21 मार्च 2016

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

(सीताराम यादव)
उप सचिव
परिवहन विभाग।

(राम सुमेर)
अनु सचिव
वित्त विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 18/2016/747/तीस-3-2016-11बी/2014, दिनॉक 22 मार्च 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
उप सचिव,
परिवहन विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।